

संख्या - 13015/3/2000 - स्थापना (छुट्टी)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 17, 2001

## शुद्धि पत्र

**विषय :-** राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों को परिवर्तित छुट्टी/डॉक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी की स्वीकृति के बारे में पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक जून 15, 2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13015/3/2001 - स्थापना (छुट्टी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस कार्यालय ज्ञापन में निम्नलिखित शुद्धियाँ की जाएँ :-

1. कार्यालय ज्ञापन की संख्या ठीक करके 13015/3/2000-स्थापना (छुट्टी) की जाए
2. कार्यालय ज्ञापन की 7वीं और 8वीं पंक्तियों में आने वाले शब्दों " किसी दुर्घटना, दिल के दौरे, गर्भस्राव आदि जैसे आपातक चिकित्सा-सहायता की अपेक्षा वाले मामलों में " को विलोपित समझा जाए ।

डी.आर. चट्टोपाध्याय

(डी.आर. चट्टोपाध्याय)

भारत-सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।